भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1477

08.03.2021 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण के कारण मौतें

1477. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लैन्सेट पत्रिका में एक नए अध्ययन ने यह दावा किया है कि वर्ष 2019 में भारत में हुई कुल मौतों में से 17.8 प्रतिशत मौतें अकेले वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार का देश में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या के संबंध में क्या अनुमान है;

(घ) सरकार द्वारा देशभर में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है; और

(ड.) क्या केन्द्रीय कानून द्वारा देशभर में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों के उपयोग को विनियमित करने का कोई विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) : ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं है जिनके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि कोई मौत/बीमारी केवल वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु प्रदूषण श्वसनीय बीमारियों और संबद्ध रोगों को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक है। स्वास्थ्य पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है जिनमें पर्यावरण के अलावा लोगों की खान-पान की आदतें, पेशागत आदतें, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की पूर्व की स्थिति, प्रतिरक्षण क्षमता, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

(घ) : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरूआत की गई। यह वर्ष 2024 तक PM_{10} और $PM_{2.5}$ के स्तरों में वर्ष 2017 के स्तरों की तुलना में 20% से 30% तक कमी लाने पर ध्यान-केंद्रित करके देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुत व्यापक योजना है। इस प्रयास में संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकारें, अनुसंधान संस्थान, उद्योग आदि भागीदार हैं। एनसीएपी के तहत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञों के एक समूह और ख्याति प्राप्त संस्थानों के साथ एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का गठन किया गया है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी स्थानीय निकायों को वायु प्रदूषण के उपशमन के संबंध में क्षमता निर्माण, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां, सुझाव/सलाह प्रदान करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2020 को 100 से अधिक शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार करने की भी घोषणा की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की शुरूआत की थी। यह सूचकांक सरल रूप में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी इस प्रकार उपलब्ध कराता है जिसे आम व्यक्तियों द्वारा भी समझा जा सकता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक भी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर आधारित हैं।

सरकार ने वायु प्रदूषण के उपशमन हेतु कई कदम उठाए हैं जैसे बीएस-VI मानकों की शुरूआत, मेट्रो रेल का विस्तार, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का परिचालन, उद्योगों को पीएनजी में परिवर्तित करना, अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, रेड श्रेणी के उद्योगों की चौबीस घंटे ऑनलाइन निगरानी आदि। सरकार द्वारा वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

यद्यपि सरकार द्वारा वायु प्रदूषण के उपशमन के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि, नागरिकों को भी निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहयोग प्रदान करना चाहिए:

- अपने प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाणपत्र का समय पर नवीकरण करें।
- इंजन को अनावश्यक रूप से चालू न रखें।
- यात्रा में लगे समय को कम करने हेतु अपने सौंपे गए कार्यों और यात्राओं की योजना तैयार कर लें।
- परिवहन की स्वच्छ पद्धतियों को अपनाएं।
- छोटी यात्राओं के लिए साइकिलों/ई-बाइकों का अधिक प्रयोग करें।
- जहां भी व्यवहार्य हो, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें।
- भीड़-भाड़ वाले मार्गों से बचें।
- घरेलू अपशिष्ट को अलग-अलग रखें।
- अपशिष्ट को कभी न जलाएं।
- पुनश्चक्रण के योग्य अपशिष्ट को संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाए और अपशिष्ट से धन का उपार्जन भी करें।
- पत्तों और बगीचे के अपशिष्ट से कंपोस्ट तैयार करें।
- बागों/उद्यानों में पत्तों की सफाई आक्रामक रूप से न करें - चौड़े रैकों प्रयोग करें।
- ई-अपशिष्ट का निपटान जिम्मेदारी के साथ करें।
- हरित अच्छे कार्यों को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें।
- वायु को प्रदूषित करने वाले कार्यकलापों के विषय में प्राधिकारियों को सूचित करने हेतु लोक शिकायत समाधान ऐपों का प्रयोग करें।
- वर्तमान में स्वच्छता के लिए की जा रही पहलों के विषय में अन्य लोगों के साथ जानकारी साझा करें।

(ड.) : मंत्रालय द्वारा पूरे देश में अत्यधिक प्रदूषणकारी पदार्थों के प्रयोग को विनियमित करने हेतु, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्ट को शामिल करते हुए छह अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं।

****

अनुबंध

केंद्रीय सरकार द्वारा वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए की गई पहलें

वायु गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर, एनसीएपी के तहत, वायु-गुणवत्ता मानकों का अनुपालन न करने वाले 122 शहरों को अभिज्ञात किया गया है तथा अनुपालन न करने वाले 111 शहरों के लिए शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं को तैयार किया गया है और उन्हें अनुमोदित किया गया है। सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वाहन प्रदूषण नियंत्रण

- अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV से सीधे बीएस-VI मानकों को लागू करना।
- सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो रेल का नेटवर्क बढ़ाया गया है और अधिक शहरों को इसमे शामिल किया गया है।
- एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों के विकास से भी ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम किया जा रहा है।
- स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की शुरूआत करना।
- फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलैक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई)-2 योजना को शुरू किया गया है।
- इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता में छूट दी गई है।
- सड़कों पर भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और सड़कों में सुधार तथा अधिक पुलों का निर्माण किया गया है।

ii. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड।
- दिल्ली और एनसीआर राज्यों में पेट कोक ओर फर्नेस ऑयल को ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध।
- औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी में परिवर्तित करना।
- अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों में ऑन-लाइन सतत निगरानी उपकरणों की स्थापना करना।
- प्रदूषण में कमी करने के लिए ईंट-भट्टों को जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित करना।

iii. अपशिष्ट प्रबंधन

- ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, सी एवं डी अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी अवसंरचनाओं की स्थापना करना।
- प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)।
- बायो-मास/कचरा जलाने पर प्रतिबंध।

iv. फसल अवशेष प्रबंधन

- 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषिगत मशीनीकरण के संवर्धन' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत किसानों के लिए 50% सब्सिडी के साथ तथा कस्टम हाइरिंग केंद्रों के लिए 80% सब्सिडी के साथ स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन हेतु कृषिगत मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा देना।

v. वायु गुणवत्ता की निगरानी

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के तहत वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार।
- दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन। इस प्रणाली के तहत समय पर कार्रवाई करने हेतु चेतावनियां दी जाती हैं।

vi. निधियों का आबंटन

- एनसीएपी के तहत अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों की निगरानी नेटवर्क के विस्तार, निर्माण एव विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं, गैर-मोटर चालित परिवहन अवसंरचना, हरित बफर क्षेत्रों का सृजन, सड़कों की मशीनीकृत सफाई, कम्पोस्टिंग इकाइयों आदि जैसे कार्यकलापों को शुरू करने हेतु 336.8 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने हेतु 2200 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा, इस बजट में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रूपए की धनराशि आवंटित की गई है।
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, वर्ष 2014-2019 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 7365.82 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे।
- जीर्णोद्धार और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक पांच वर्षों के लिए गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन हेतु 1436 करोड़ रूपए और हरे-भरे स्थानों तथा पार्कों के लिए 1768 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।
- वर्ष 2021 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि में निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट को प्रभावकारी ढ़ंग से प्रबंधित करके तथा सभी लेगेसी निक्षेप स्थलों का जैविक उपचार करके वायु प्रदूषण में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु 1,41,678 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2018-21 के दौरान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1726.67 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

vi. जन-भागीदारी

- मंत्रालय द्वारा समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज स्तर के छात्रों के बीच जागरूकता के प्रसार के लिए तथा पर्यावरण के संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी जुटाने हेतु वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा योजना कार्यान्वित की जा रही है।
- हरित अच्छे कार्य (जीजीडी), जो एक सामाजिक आंदोलन है, इस योजना के घटकों में से एक है जिसका उद्देश्य सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग को न्यूनतम करने, हरित दीवाली मनाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, व्यक्तिगत कार के प्रयोग से बचने और कार-पूल को बढ़ावा देने, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) प्राप्त करने हेतु वाहन की नियमित जांच करवाने, बिजली बचाने, पानी बचाने, भीड़-भाड़ वाले लेनों के प्रयोग से बचने आदि जैसे हरित सामाजिक उत्तरदायित्व लेने हेतु समाज के सभी वर्गों में हरित अच्छी आदतें और व्यवहार डालना है। अच्छे कार्यों की विस्तृत सूचनाप्रद सूची वेबसाइट http://164.100.160.232/sbhb/GoodDeeds.aspx पर उपलब्ध है।